न्यायालय उपखण्ड अधिकारी-सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड-आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान2018 के तहत रा.लो.अ. कैंप कोर्ट सभा भवन पं.स.सिरोही

रा.प्रा.पत्र संख्या 85/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1–श्रीमती दरीयादेवी पत्नि अचलारामजी जाति सगरवंशी (भोई) माली उम्र व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जि.सिरोही 2– गिरीश पुत्र अचलारामजी जति सगरवंशी (भोई) माली उम्र व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जि. सिरोही 3– धीरज पुत्र अचलारामजी जाति सगरवंशी (भोई) माली उम्र व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही 4– वीणा पुत्री अचलारामजी पत्नि दिनेशकुमार जाति सगरवंशी (भोई) माली उम्र व्यस्क निवासी जयपुर 5– रेखा पुत्री अचलारामजी पत्नि नरेशजी जाति सगरवंशी (भोई) माली उम्र व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री प्रमोदकुमार दवें-वकील प्रार्थी
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 30–6–2018

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 3–3–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण के मौजा सिरोही II पटवार हल्का सिरोही II मे स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नंबर 3011 रकबा 0.8800 हेक्टेयर किस्म बा.I मे जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही होने से मवेशी बैलगाडी ट्रेक्टर ट्रोली आने जाने के लिये नही है इसलिये नया रास्ता हेतु यह आवेदन अर्न्तगत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251–क की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन पेश है।अतः कृपया कर मौजा सिरोही के खसरा नंबर 3013 की भूमि मेरो 15 फीट रास्ता संलग्न नक्शे मे हरे रंग की प्रार्थीगण की भूमि के लिये दर्शाया खसरा नंबर 3013 की भूमि मे तीन प्रस्तावित मार्ग मेसे कोई भी एक मार्ग जो प्रार्थीगण को दिया जावे ताकि सकें । ताकि प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि पर पहुॅच सके तथा मवेशी बैलगाडी ट्रेक्टर ट्रोली आसानी से अपनी खातेदारी भूमि पर ले जा सकें तथा आवागमन हो सकें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2066 से 2069 ग्राम सिरोही पटवार हलका सिरोही

Continue Page No 2

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

II तहसील सिरोही के खसरा नंबर 3011 0.8800 हेक्टेयर तथा अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही)के जमाबंदी संवत से कि खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 3013 रकबा हेक्टेयर किस्म नक्शा किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 3–3–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक 19–9–2017 को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से समय दिया गया ।

आज दिनांक 30–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पं.स. सिरोही के सभा भवन मे मेरे समक्ष पेश हुई । दौराने सुनवाई वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही हाजिर हुये । सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थी ने जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर ननया 01 खातेदार राज्य सरकार के खसरा नंबर 3013 रकबा 1.6700 हेक्टेयर की प्रति तथा तहसीलदार/सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार /सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि प्रार्थीया श्रीमति दरीया देवी पत्नि अचलाराम जाति सगरवंशी माली निवासी सिरोही द्वारा अपने पति अचलाराम पुत्र नाथाजी जाति भोई साकिन सिरोही के नाम से दर्ज खातेदारी की कृषि भूमि मौजा सिरोही II के खसरा नंबर 3011 रकबा 0.8800 हैक्टेयर किस्म बा II मे जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही होने से चाहा गया है। राजस्व रेकर्ड व नक्शा अनुसार उपरोक्त आराजी पर जाने के लिये खसरा नंबर 3119 किस्म गै.मु. नाला है परन्तु मौके पर नहर है। उक्त खसरा नंबर के पडौस मे खसरा नंबर 3013 है जिसका कुल रकबा 1.6700 हैक्टेयर किस्म बंजर राजकीय बिलानाम भूमि है। संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नंबर 3013 मे प्रदर्शित लाल स्याही वाले प्रस्तावित स्थल से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उपयुक्त रहेगा क्योंकि खसरा नंबर 3013 राजकीय बिलानाम भूमि है एवं चाहा गया प्रस्तावित मार्ग खसरा नंबर 3119 के सहारे सहारे मौजूद रास्ते से नजदीक है। खसरा नंबर 3013 कुल रकबा 1.6700 हेक्टेयर मेसे प्रस्तावित मार्ग की लंबाई 40 मीटर व चौडाई 6 मीटर अर्थात कुल रकबा बराबर 240 वर्गमीटर हो रहा है। प्रस्तावित मार्ग पर कोई स्थायी निर्माण ईत्यादि नही है।विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड प्रतियों का भी गहनता से अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही के सिवाय चक उक्त खसरा नंबर 3013 रकबा 1.6700 हेक्टेयर किस्म बंजर की कृषि भूमि जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे प्रस्तावित मार्ग की लंबाई 40 मीटर व चौडाई 6 मीटर अर्थात कुल रकबा 240 वर्गमीटर कम कर दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No 3

प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी/ट्रेक्टर/बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीगण द्वारा मांगी उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही II तहसील सिरोही जिला सिरोही के अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 01 बिलानाम सरकार सिवाय चक खसरा नंबर 3013 रकबा 1.6700 हेक्टेयर मेसे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है जिसकी लुबाई 40 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 240 वर्गमीटर होता है। उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की किमत प्रार्थीगण द्वारा खातेदार अप्रार्थी स्टेट भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार/सिरोही को नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थीगण द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा ।उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावित की कीमत तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार/सिरोही को अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) की खातेदारी की उक्त बिलानाम सिवाय चक खसरा नंबर 3013 रकबा 1.6700 हेक्टेयर मेसे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है जिसकी लुंबाई 40 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 240 वर्गमीटर होता है। उक्त रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No 4

पं.स.सिरोही के सभा भवन मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001